डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक : प्रशा०/349 /2024 दिनांक : 15/07/2024

सेवा में,

1. प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान, डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/अधीक्षक/प्रभारी आवासीय संस्थान, डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
3. अधिष्ठाता छात्र कल्याण, डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

विषय : प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में कराये जाने वाले वृक्षारोपण के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या : 1677/सत्तर–3–2024 दिनांक 13 जुलाई, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान–2024 के अन्तर्गत पौध रोपड़ किया जाना है। उक्त के क्रम में मा0 कुलपति जी के निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक सम्बद्ध/संघटक महाविद्यालय द्वारा न्यूनतम 500 पेड़/वृक्ष लगाना अनिवार्य है।

वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत पौधों की प्राप्ति के लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनअधिकारी/प्रभागीय निदेशक से सम्पर्क किया जा सकता है। जिन्हें महाविद्यालय/विभाग के भीतर, बाउन्ड्री वॉल के चारो तरफ (अन्दर/बाहर) तथा अन्य स्थान का चयन कर रोपित किया जा सकता है।

वृक्षा रोपण से सम्बन्धित शासन स्तर से दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

संलग्नक : यथोक्त।

कुलसचिव

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अधीक्षक–कुलपति सचिवालय, मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक।
3. प्रो0 रजनीश अग्निहोत्री, नोडल अधिकारी, वृक्षारोपण।
4. प्रो0 रामवीर सिंह, प्रभारी, राष्ट्रीय सेवा योजना को सहयोग प्रदान करने हेतु।
5. उप कुलसचिव, प्रशासन।
6. प्रभारी वेब–साइट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को समस्त महाविद्यालयों की लॉगिन में अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
7. गार्ड फाइल।

कुलसचिव

बैठक दिनांक 15.07.2024 को मध्याह्न 12:00 बजे वर्चुअल बैठक

संख्या-1679 /सत्तर-3-2024

प्रेषक,

शिपू गिरि,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ०प्र०।

3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उ०प्र०।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 13 जुलाई, 2024

विषय: मा० मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 15.07.2024 को मध्याह्न 12:00 बजे "पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ" जन अभियान-2024 के अन्तर्गत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 में 18.54 लाख पौध रोपण किये जाने के सम्बन्ध में वर्चुअल बैठक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि "पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ" जन अभियान-2024 के अन्तर्गत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 में जनसहभागिता से 35.00 करोड़ किये जाने वाले पौध रोपण के सापेक्ष 18.54 लाख पौध रोपण किये जाने के सम्बन्ध में मा० मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 15.07.2024 को मध्याह्न 12:00 बजे वर्चुअल बैठक आहूत की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त वर्चुअल बैठक में सुसंगत सूचनाओं के साथ निर्धारित तिथि/समय पर प्रतिभाग करने का कष्ट करें बैठक का लिंक निम्नवत् है:-

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88443684551?pwd=jWOInX1c4ZJLud8jGzAAbjTGRM5dP.1
Meeting ID: 884 4368 4551
Passcode: 669166

भवदीय,

(शिपू गिरि)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, मा० मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
4- निजी सचिव, समस्त विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
5- अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
6- समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
7- समस्त अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।

आज्ञा से,

(शिपू गिरि)
विशेष सचिव।

संख्या– 1677 /सत्तर–3–2024

प्रेषक,

त्रिपु गिरि,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ: दिनांक 13 जुलाई, 2024

विषय: प्रदेश में वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में कराये जाने वाले वृक्षारोपण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि "पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ" जन अभियान–2024 के अन्तर्गत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2024–25 में जनसहभागिता से 35.00 करोड़ किये जाने वाले पौध रोपण के सापेक्ष 18.54 लाख पौध रोपण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

2– उल्लेखनीय है कि उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के कार्यालय ज्ञाप सं0–670/सत्तर–3–2024, दिनांक 22.04.2024 द्वारा "पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ" जन अभियान–2024 के अन्तर्गत निदेशक उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज से समन्वय स्थापित करते हुए "पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ" जन अभियान–2024 के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में जनसहभागिता से विश्वविद्यालय में किये जा रहे वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति से दिनांक 15.07.2024 तक उच्च शिक्षा अनुभाग–3 की ई–मेल आई0डी0 hesection.3@gmail.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(त्रिपु गिरि)
विशेष सचिव।

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक,(उ0शि0)
डिग्री विकास अनुभाग
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

सेवा में,

1- कुलसचिव,
समस्त राज्य/ निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश ।
2- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

पत्रांकः डिग्री विकास/ 452 /2024-25 दिनांक- 05/06 /2024
विषयः-वर्ष 2024-25 के वृक्षारोपण लक्ष्यों के निर्धारण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया इस पत्र के साथ संलग्न शासन के पत्र संख्या 1229/सत्तर-3-2024-दिनांक- 03 जून, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें वर्ष 2024-25 के वृक्षारोपण लक्ष्यों के निर्धारण के सम्बन्ध में है। शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2024-25 में समस्त विभागों का समावेश करते हुए जनहभागिता से विगत वर्ष 2023-24 के भाँति वृहद स्तर पर उच्च शिक्षा विभाग को आवंटित लक्ष्य 18.54 लाख पौधे का रोपण हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के क्रम में शासन का पत्र संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि पत्र का भली-भाँति अवलोकन करते हुए दिये गये दिशा निर्देश के आधार पर कार्ययोजना एवं अनुपालन आख्या 03 कार्यदिवस में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक- उक्तवत् ।

भवदीय,
05/6/24
डॉ0(अपर्णा मिश्रा)
संयुक्त निदेशक,(उ0शि0)
कृते शिक्षा निदेशक,(उ0शि0)
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

पृष्ठांकन संख्या डिग्री विकास/ 452-53 / उसी तिथि को।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि- उप-सचिव, उत्तर प्रदेश शासन , उच्च शिक्षा अनुभाग 03, लखनऊ को शासन के पत्र संख्या- 1229/सत्तर-3-2024-दिनांक- 03 जून, 2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

डॉ0(अपर्णा मिश्रा)
संयुक्त निदेशक,(उ0शि0)
कृते शिक्षा निदेशक,(उ0शि0)
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या–1229 / सत्तर–3–2024

प्रेषक,

एस0पी0मिश्र,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा उ0प्र0
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 | लखनऊ : दिनांक 03 मई, 2024

विषय : वर्ष 2024–25 के वृक्षारोपण लक्ष्यों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–161/81–5–2024 दिनांक 24.05.2024 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को 01 सप्ताह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(एस0पी0 मिश्र)
उप सचिव।

04/6/24

Shot on OnePlus
Powered by Quad Camera

I/567845/2024

प्रमुख सचिव कार्यालय में प्राप्त दिनांक 28/5/24

महत्वपूर्ण

संख्या-161/81-5-2024

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

संख्या 6275/VIP PSHED/2024

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उ0प्र0।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनु0-5 लखनऊ: दिनांक: 2? मई, 2024

विषय : वर्ष 2024-25 के वृक्षारोपण लक्ष्यों का निर्धारण।

महोदय,

प्रदेश की हरियाली में संवर्द्धन, बढ़ते प्रदूषण पर नियन्त्रण तथा पर्यावरण सन्तुलन बनाये रखने हेतु प्रदेश सरकार के संकल्प की अपेक्षानुसार उत्तर प्रदेश राज्य वन नीति-2017 के प्रस्तर 2 एवं 4 में हरित आवरण में वृद्धि हेतु जनान्दोलन के माध्यम से वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया है। राज्य वन नीति में व्यापक स्तर पर जन सामान्य विशेषकर महिलाओं, विद्यार्थियों, कृषकों, दिव्यांगों, दृष्टिबाधित, पूर्व सैनिकों, समाज के अलग जाये वाले व्यक्तियों एवं वनों के समीप रहने वाले समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से अग्रसारित कार्य को जन सहभागिता अभियान के रूप में मनाये जाने का प्राविधान है।

2. भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा प्रकाशित अर्धवार्षिक द्विवार्षिक वन स्थिति रिपोर्ट-2021 के अनुसार प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.23 प्रतिशत क्षेत्र वनावरण एवं वृक्षावरण से आच्छादित है, जिसमें वर्ष 2015 के सापेक्ष वृक्षावरण तथा वनावरण में समेकित रूप से कुल 79,400 हे0 (वनावरण में 41,700 हे0 एवं वृक्षावरण में 37,700 हे0 वृद्धि) की वृद्धि परिलक्षित हुई है। इस वृद्धि का मुख्य कारण सफल वृक्षारोपण गतिविधियाँ तथा वन संरक्षण हेतु किये गये प्रयास हैं।

3. शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2024-25 में समस्त विभागों का समावेश करते हुये जन सहभागिता से वर्ष 2023-24 की भाँति वृहद स्तर पर 35.00 करोड़ पौधों का रोपण किया जाय।

4. वर्ष 2024-25 हेतु 35.00 करोड़ पौधों के रोपण के विभागवार लक्ष्य निम्नानुसार निर्धारित किये जाते हैं:

(पौध संख्या लाख में)

क्र0सं0	विभाग का नाम	2024-25
1	2	3
1	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	
	(i) वन एवं वन्यजीव विभाग	1260.00
	(ii) पर्यावरण विभाग	139.96
2	ग्राम्य विकास विभाग	1259.15
3	राजस्व विभाग	105.60
4	पंचायती राज विभाग	127.98
5	आवास विकास विभाग	5.38
6	औद्योगिक विकास विभाग	7.73
7	नगर विकास विभाग	34.97
8	लोक निर्माण विभाग	12.93
9	जल शक्ति विभाग	13.41
10	रेशम विभाग	14.19
11	कृषि विभाग	250.73
12	पशुपालन विभाग	7.28
13	सहकारिता विभाग	5.60
14	उद्योग विभाग (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग)	9.55
15	ऊर्जा विभाग	5.60
16	शिक्षा विभाग	
	(i) माध्यमिक शिक्षा	7.83
	(ii) बेसिक शिक्षा	12.43
	(iii) प्राविधिक शिक्षा	5.06
	(iv) उच्च शिक्षा	18.54
17	श्रम विभाग	2.69
18	स्वास्थ्य विभाग	10.91
19	परिवहन विभाग	2.53
20	रेलवे विभाग	12.66

क्र0सं0	विभाग का नाम	2024-25
1	2	3
21	रक्षा विभाग	4.95
22	उद्यान विभाग	155.56
23	गृह विभाग	7.00
	कुल-	3500.00

5. विभागवार एवं जनपदवार लक्ष्यों का निर्धारण : प्रदेश में वर्ष 2024-25 में 35 करोड़ पौधों के रोपण हेतु विभाग/जनपदवार लक्ष्य परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है।

6. वन महोत्सव एवं पौधरोपण लक्ष्य की प्राप्ति : प्रत्येक वर्ष की भांति वन महोत्सव माह जुलाई के प्रथम सप्ताह में 01 जुलाई से 07 जुलाई तक मनाया जाय तथा रोपण लक्ष्य की पूर्ति हेतु जिलावार/विभागवार/ग्राम पंचायतवार /शहरी निकायवार इस प्रकार कार्ययोजना तैयार की जाय कि वृक्षारोपण का लक्ष्य वृक्षारोपण हेतु निर्धारित तिथि तक शत प्रतिशत प्राप्त हो सके।

7. वृक्षारोपण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्नानुसार रणनीति निर्धारित की जाती है :

7.1 वृक्षारोपण हेतु स्थल चयन की सामान्य नीति:

(क) पौध रोपण हेतु वन भूमि, सामुदायिक भूमि व अन्य राजकीय भूमि की सीमित उपलब्धता के दृष्टिगत कृषि एवं अन्य निजी भूमि पर भी कृषि वानिकी मॉडल तथा कृषकों की इच्छानुसार सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रजाति के पौधों का रोपण कराया जाय।

(ख) जनपदों में गंगा नदी, यमुना नदी एवं गंगा तथा यमुना नदियों की सहायक नदियों के साथ-साथ अन्य मुख्य नदियों एवं पोषक जलधाराओं के पुनरोद्धार हेतु उनके किनारे वृक्षारोपण तथा अन्य भूमि संरक्षण कार्य कराया जाय।

(ग) नदियों के पुनरोद्धार हेतु पोषक नालों के किनारे भी वृक्षारोपण कार्य कराया जाय।

(घ) प्रदेश में ग्राम सभा की चारागाह भूमि एवं जनपद में स्थापित गोवंश शेल्टर में उपलब्ध रिक्त भूमि पर चारा प्रजातियों का रोपण प्राथमिकता के आधार पर किया जाय।

(ङ) प्रदेश के शहरीय क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को कम करने तथा जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने हेतु घने वन/मियावाकी पद्धति से वन स्थापित किया जाय।

7.2 ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण की रणनीति

(क) ग्राम पंचायतवार माइक्रोप्लानिंग: प्रदेश व्यापी वृक्षारोपण अभियान की मूल इकाई ग्राम पंचायत निश्चित की गयी है।

- "सबकी योजना सबका विकास" अभियान के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर निरूपित किये जाने वाले ग्राम पंचायत विकास योजना (जी0पी0डी0पी0) में प्रस्तावित वृक्षारोपण को सम्मिलित कराया जाये।

- पूर्व वर्षों में कराये गये वृक्षारोपण से पूरित माइक्रोप्लान को अद्यावधिक कर लिया जाय तथा ग्राम पंचायतवार वर्षवार रोपित पौधों का विवरण ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर वृक्षारोपण पंजिका के रूप में संधारित किया जाय (प्रारूप-1 एवं प्रारूप-2 संलग्न)।

- माइक्रोप्लान के अन्तर्गत रोपित पौधों के रख-रखाव यथा- निराई-गुड़ाई, सिंचाई, मृत पौधों के स्थान पर नये पौधों का रोपण आदि तथा सुरक्षा हेतु तारबाड़/कैटिल प्रूफ ट्रेन्चिंग/ जैविक मेड़ बाड़ हेतु वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।

- प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्रामीणों की इच्छानुसार माइक्रोप्लानिंग में चिन्हित प्रजातियों के पौधों का पौधशालाओं में उपलब्धता सुनिश्चित की जाय तथा वृक्षारोपण की अग्रिम तैयारी समयबद्ध पूर्ण की जाय।

- वृक्षारोपण कार्य के तकनीकी स्वरूप को देखते हुये सम्बन्धित वन रक्षक को ग्राम पंचायत में माइक्रोप्लानिंग हेतु विशिष्ट आमंत्री के रूप में नामित किया जाय।

- माइक्रोप्लानिंग में महिलाओं को विशेष रूप से आमंत्रित कर उनकी इच्छानुसार भी प्रजातियों को लगाया जाय।

- ग्राम पंचायत को नोडल इकाई मानते हुये मनरेगा गाईडलाइन्स के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्य कराया जाय।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण हेतु तैयार की गई ग्राम पंचायतवार माईक्रोप्लान के अनुसार वन विभाग से भिन्न अन्य विभागों के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु निम्नवत श्रेणियां बनायी गयी हैं :

(I) <u>श्रेणी 1 - माइक्रोप्लान में चिन्हित ऐसे कृषक/व्यक्ति जिनके द्वारा वृक्षारोपण</u>
(अ) स्वयं के संसाधन अथवा
(ब) औद्योगिक इकाईयों द्वारा उपलब्ध कराये गये संसाधनों से किया जायेगा
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा ऐसे वृक्षारोपण के संबंध में केवल अभिलेखीकरण (Documentation) का कार्य किया जायेगा।

(II) <u>श्रेणी 2- माइक्रोप्लान में चिन्हित ऐसे कृषक/व्यक्ति, जिन्हे उनकी इच्छा की प्रजाति के पौधे वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे तथा उनका रोपण उनकी भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा कराया जायेगा:</u>
माइक्रोप्लान में चिन्हित कृषक/व्यक्ति जो मनरेगा योजना के अन्तर्गत मनरेगा अधिनियम की अनुसूची-1 के पैरा-5 के अन्तर्गत उल्लिखित सूची में सम्मिलित हैं, उनकी इच्छा की प्रजाति के पौधे वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे तथा उनका रोपण उनकी भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा कराया जायेगा। इस श्रेणी के वृक्षारोपण में ग्राम्य विकास विभाग, पंचायतीराज विभाग, राजस्व विभाग, सहकारिता विभाग तथा श्रम विभाग के लक्ष्य सामान्यतः समायोजित होंगे।

(iii) श्रेणी 3- माइक्रोप्लान में चिन्हित ग्रामीण क्षेत्रों की सामुदायिक भूमि तथा अन्य राजकीय विभागों की भूमि पर वृक्षारोपण ग्राम पंचायत द्वारा कराया जायेगा तथा पौधे वन विभाग द्वारा आपूर्ति की जायेगी:
इस श्रेणी के वृक्षारोपण के सापेक्ष सामान्यतः ऐसे विभाग यथा। लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, विद्युत विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग तथा अन्य विभागों, जिनके अपने परिसर हों, उनके द्वारा कराये गये वृक्षारोपण से सम्बन्धित विभागों के लक्ष्य समायोजित होंगे।

(iv) श्रेणी 4- वन/उद्यान/रेशम विभाग द्वारा वृक्षारोपण:
(अ) वन विभाग द्वारा वन भूमि एवं सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण किया जायेगा: इस श्रेणी के वृक्षारोपण में वन विभाग का लक्ष्य समायोजित होगा।
(ब) उद्यान विभाग एवं रेशम विभाग द्वारा उनके द्वारा चिन्हित भूमि पर वृक्षारोपण किया जायेगा: इस श्रेणी के वृक्षारोपण में उद्यान विभाग एवं रेशम विभाग के लक्ष्य समायोजित होंगे।

(स) सभी राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग एवं यूपीडा द्वारा निर्मित राजमार्गों के किनारे छायादार वृक्ष लगाये जायें। लोक निर्माण विभाग द्वारा राजमार्गों के निर्माण की परियोजना में वृक्षारोपण का अवयव (Component) अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाय।

7.3 शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण की रणनीति :

- पूर्व वर्षों में कराये गये वृक्षारोपण के वृक्षित माइक्रोप्लान को अद्यावधिक कर लिया जाय तथा शहरी निकायवार वर्षवार रोपित पौधों का विवरण वृक्षारोपण पंजिका के रूप में संधारित किया जाय **(प्रारूप-2 संलग्न)।**

- माइक्रोप्लान के अन्तर्गत रोपित पौधों के रख-रखाव यथा- निराई-गुड़ाई, सिंचाई, मृत पौधों के स्थान पर नये पौधों का रोपण आदि तथा सुरक्षा हेतु सी0एस0आर0 /लाइनस्टेडी भी हेतु वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।

- प्रत्येक शहरी निकाय में वृक्षारोपण हेतु माइक्रोप्लानिंग में चिन्हित प्रजातियों के पौधों की पौधशालाओं में उपलब्धता सुनिश्चित की जाय तथा वृक्षारोपण की अग्रिम तैयारी समयान्तर्गत पूर्ण की जाय।

- शहरी क्षेत्रों में सघन वृक्षारोपण पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अतः भूमि उपलब्धता के आधार पर सघन वृक्षारोपण किया जाय उदाहरणस्वरूप मियावाकी पद्धति से रोपण, अल्प घनत्व रोपण इत्यादि। इस कार्य हेतु वन विभाग का सक्रिय सहयोग लिया जाय।

- माइक्रोप्लानिंग में महिलाओं को भी विशेष रूप से आमंत्रित कर उनकी इच्छानुसार भी प्रजातियों को लगाया जाय।

- शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण हेतु तैयार की गई नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायतवार माईक्रोप्लान में आवास विकास, नगर विकास, उद्योग, औद्योगिक विकास, रक्षा, रेलवे एवं परिवहन विभाग के लक्ष्य समायोजित होंगे।

व्यवस्था की जाय।

8. पौध रोपण की रणनीति :

वृहद स्तर पर पौधों के रोपण, विभाग/संस्था/व्यक्ति को वांछित प्रजाति के पौधों की ससमय आपूर्ति, वृक्षारोपण कार्य का अनुश्रवण, आदि कार्यों को निम्नानुसार संचालित कराया जाय :

- विगत वर्षों में रोपण की सफलता का स्तर मानक के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु वन विभाग का शासनादेश सं0-554/चौदह-5-2003-(5)(10)/93, दिनांक 10-07-2003 के अनुसार अधिकतम 10 प्रतिशत तक पौध रोपण कर बीटिंग अप (मृत/कमजोर पौधों के स्थान पर नवीन पौधों का रोपण) की कार्यवाही सभी सम्बन्धित विभागों द्वारा सुनिश्चित की जाये।
- वृक्षारोपण कार्यक्रम में सभी स्तर के स्थानीय जन प्रतिनिधियों का सहयोग एवं सहभागिता सुनिश्चित की जाये।
- व्यापक स्तर पर जन सहभागिता तथा समस्त सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं, सिविल सोसाइटी, NCC, NSS नेहरू युवा केन्द्र, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, Rotary/Rotract/Lions Club सभी व्यापार मण्डल, किसान उत्पादक संगठन (FPO) आदि की प्रतिभागिता के साथ वृक्षारोपण अभियान संचालित किया जाय।
- जनपद का माइक्रो प्लान तैयार किया जाय, जिसमें स्थलवार प्रतिभाग करने वाले जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न संस्थाओं/विभागों आदि के साथ-साथ नर्सरी से वृक्षारोपण स्थल तक पौध ढुलान योजना व इस से सम्बन्धित लॉजिस्टिक्स का विवरण सम्मिलित हो।

9. पौधों के रोपण की सूचना वन विभाग द्वारा प्राप्ति/संकलन के सम्बन्ध में प्रक्रिया :

वृहद स्तर पर किये जाने वाले पौधरोपण की सूचना के प्रदेश स्तर पर संकलन, त्रुटि रहित संकलन व प्रदर्शन हेतु आवश्यक है कि वृक्षारोपण स्थल से जिला स्तर पर स्थापित वन विभाग के प्रभागीय नियंत्रण कक्ष (कन्ट्रोल रूम) तक तथा वहाँ से प्रदेश के वन मुख्यालय स्थित कमाण्ड सेन्टर तक निर्धारित रूप से त्रुटि रहित सूचनाएं समय से प्राप्त हों। वन विभाग प्रदेश स्तर पर वृक्षारोपण हेतु नोडल विभाग है। अन्य राजकीय विभागों द्वारा जनपद स्तर पर नोडल विभाग/वन विभाग के प्रतिनिधि प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक के स्तर तथा वन मुख्यालय तक पौध रोपण की सूचना की प्राप्ति हेतु निम्न व्यवस्था निर्धारित की जाती है :

- अन्य विभागों की ग्राम पंचायतवार/स्थलवार दिनांकवार रोपित की गयी पौध की स्थलवार लिखित सूचना वृक्षारोपण प्रारम्भ होने से समाप्त होने तक खण्ड विकास अधिकारी के द्वारा अपने हस्ताक्षर से जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी को प्रतिदिन प्रेषित की जाय।
- जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी द्वारा जनपद की संकलित सूचना प्रभागीय वन विभाग अधिकारी को प्रेषित की जाय।

* शहरों में वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध भूमि के साथ-साथ सड़कों के किनारे "एक मार्ग-एक प्रजाति" के अनुसार फूलदार, छायादार एवं औषधाकारी प्रजाति के [illegible] (Avenue Based Avenue Plantation) कराने की

- मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उक्त सूचना को अपने हस्ताक्षर से जनपद में प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक के कार्यालय में स्थापित नियंत्रण कक्ष (कन्ट्रोल रूम) को प्रेषित की जाय।
- जनपद के प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक द्वारा उक्त सूचना वन विभाग के पी०एम०एस० पर तत्काल अपलोड करायी जाय, जिससे कि प्रदेश स्तर पर ही वृहद पौध रोपण की प्रगति वन मुख्यालय (लखनऊ) स्थित कमाण्ड सेन्टर पर उपलब्ध हो सके।
- प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक द्वारा मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से प्राप्त संकलित सूचना से जिलाधिकारी को भी अवगत कराया जाये।

10. पौधों की उपलब्धता के लिए रणनीति :

प्रदेश में वर्ष 2024-25 में वृक्षारोपण हेतु पर्याप्त संख्या में पौधों की उपलब्धता आवश्यक होगी तथा प्रजाति विशेष के अनुसार एक वर्ष, दो वर्ष तथा तीन वर्ष के पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी होगी। इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाय :

(1) निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप वृक्षारोपण के लिए आवश्यक पौधों का उगान नर्सरियों में किया जाय। पर्याप्त संख्या में इनकी उपलब्धता हेतु जिला वृक्षारोपण समिति बैठक करके रणनीति तैयार करेगी।

(2) वृहद स्तर पर उपयुक्त प्रजाति के पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वन विभाग द्वारा पौधशालाओं (नर्सरी) का सुदृढ़ीकरण तथा आवश्यकतानुसार नयी पौधशाला की स्थापना की जाय।

(3) पौध उगान हेतु आधारभूत क्षमता तथा दक्ष मानव संसाधन वाले विभागों यथा उद्यान विभाग, रेशम विभाग, रक्षा विभाग, रेलवे विभाग, नगर विकास विभाग एवं आवास विकास विभाग द्वारा भी वृक्षारोपण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पौध तैयार करने की कार्यवाही की जाय। सम्बन्धित विभागों द्वारा तैयार की गई पौधों की सूचना भी वन विभाग द्वारा विकसित पोर्टल Nursery Management System (N.M.S.) पर अपलोड की जाय।

(4) निजी पौधशालाओं से पौधों का क्रय तभी किया जाय, जब प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी विभाग को यह प्रमाण-पत्र उपलब्ध करा दिया गया हो कि उनके नियंत्रणाधीन विभागीय पौधशालाओं में पौध उपलब्ध नहीं है। यदि निजी पौधशाला से पौध क्रय की जाती है, तो वित्तीय नियमों का पूर्ण पालन किया जाय।

(5) निजी पौधशालाओं में उपलब्ध पौधों का सर्वेक्षण वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा किया जाय एवं जनपदों में निजी पौधशालाओं में उपलब्ध पौधों की पौधशालावार एवं प्रजातिवार सूचना संकलित करते हुए जिला वृक्षारोपण समिति को प्रस्तुत की जाय।

(6) पौधशालाओं से पौधों के वितरण हेतु "डायरेक्ट सैपलिंग ट्रांसफर" (डी०एस०टी०) के माध्यम से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/ निदेशक द्वारा क्यू०आर० कोडेड इंडेंट जारी किये जायें तथा इसी माध्यम से पौधों का वितरण किया जाय।

11. रोपित किये गये पौधों की जीवितता सुनिश्चित करने हेतु रोपण के पश्चात् आगामी 02 वर्षों अथवा पौधों के वृक्ष रूप में स्थापित होने तक सुरक्षा एवं रख-रखाव किया जाय। इस हेतु जिला वृक्षारोपण समिति द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित मासिक बैठकों में विभागवार रोपण लक्ष्य के सापेक्ष रोपित पौधों की जीवितता का नियमित अनुश्रवण किया जाय।

12. वृक्षारोपण हेतु वित्तीय आवश्यकता :

(क) ग्रामीण क्षेत्र :

- श्रेणी 1- कोई वित्तीय व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है।
- श्रेणी 2- वन विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग के संयुक्त विचार-विमर्श के उपरान्त मनरेगा श्रम बजट में ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा वृक्षारोपण से सम्बन्धित समस्त क्रिया-कलाप यथा अग्रिम मृदा कार्य, पौधरोपण, अनुरक्षण आदि हेतु प्राविधान कराया जाय।
- श्रेणी 3- वन विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग के संयुक्त विचार-विमर्श के उपरान्त मनरेगा श्रम बजट में ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा वृक्षारोपण से सम्बन्धित समस्त क्रिया-कलाप यथा अग्रिम मृदा कार्य, पौधरोपण, अनुरक्षण आदि हेतु प्राविधान कराया जाय।
- श्रेणी 4- वन विभाग तथा उद्यान व रेशम विभाग द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों से वृक्षारोपण से सम्बन्धित समस्त क्रिया-कलाप यथा अग्रिम मृदा कार्य, पौधरोपण, अनुरक्षण आदि कराया जाय।

(ख) शहरी क्षेत्र :

सम्बन्धित विभागों द्वारा वृक्षारोपण अपने वित्तीय संसाधनों से वृक्षारोपण सम्बन्धित समस्त क्रिया-कलाप यथा अग्रिम मृदा कार्य, पौधरोपण, अनुरक्षण आदि कराया जाय।

13. जिला वृक्षारोपण समिति : जनपद स्तर पर प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला वृक्षारोपण समिति गठित है, जिसके संयोजक सम्बन्धित जनपद के प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक हैं तथा सभी कार्यदायी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी इसके सदस्य हैं। वृक्षारोपण की सफलता सुनिश्चित करने हेतु समिति का मुख्य दायित्व समन्वय, नियोजन एवं नियमित अनुश्रवण करना है। जिला वृक्षारोपण समिति जनपद में वृक्षारोपण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करेगी तथा समय से रणनीति तैयार कर जिले में आवंटित वृक्षारोपण लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति करेगी। जिला वृक्षारोपण समिति समस्त विभागों के निर्धारित वृक्षारोपण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नियमित रूप से समीक्षा बैठक कर वृक्षारोपण से सम्बन्धित तैयारियों एवं प्रगति का अनुश्रवण करेगी।

14. मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्तों द्वारा भी वृक्षारोपण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा नियमित रूप से की जायेगी।

15. वृक्षारोपण लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु समय सारणी :

(क) आवंटित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निम्न समय-सारिणी के अनुसार जनपद स्तर पर समस्त कार्यदायी विभागों को सम्मिलित करते हुए जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक कराकर आवश्यक कार्यवाही की जाय तथा प्रत्येक कार्यदायी विभाग द्वारा आवंटित लक्ष्यों के अनुसार कार्ययोजना तैयार कर ली जाय। कार्ययोजना में वृक्षारोपण स्थल एवं स्थलवार रोपित किये जाने वाले पौधों का विवरण, पौधों की प्राप्ति के लिए स्रोत (पौधशाला चिन्हांकन) तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम आदि का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।

(ख) लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभिन्न कार्यों के सम्पादन के लिए निम्नलिखित समय-सारणी निर्धारित है (01 अक्टूबर 2023 से 30 सितम्बर 2024 तक) :

(i)	जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक का आयोजन।	
(ii)	नर्सरी एवं वृक्षारोपण तैयारी की समीक्षा हेतु जनपद स्तर पर कण्ट्रोल रूम की स्थापना।	10 नवम्बर
	पौध तैयारी	
(i)	नई पौधशालाओं की स्थापना हेतु स्थल चयन व भूमि प्राप्त करना।	30 अक्टूबर
	पौध तैयारी हेतु बीज की व्यवस्था।	30 अक्टूबर
(ii)	पौध तैयारी हेतु मनरेगा से धनराशि प्राप्त करने हेतु डी0आर0डी0ए0 को योजना प्रस्तुत करना।	मनरेगा गाइडलाइन्स के अनुसार
(iii)	डी0आर0डी0ए0 द्वारा पौधशाला परियोजना की स्वीकृति एवं बजट अवमुक्त करना।	मनरेगा गाइडलाइन्स के अनुसार
(iv)	नर्सरी की स्थापना एवं अंकुरण क्यारियों में बीज बुवाई।	15 नवम्बर
(v)	थैला भराई, थैलों में बीज बुवाई/प्रीकिंग कार्य।	30 नवम्बर
(vi)	निराई, गुड़ाई, सिंचाई, ग्रेडिंग व स्थान परिवर्तन।	समय-समय पर यथा आवश्यक रोपण तक।
	अग्रिम मृदा कार्य व वृक्षारोपण	
(i)	माइक्रोप्लानिंग द्वारा वृक्षारोपण स्थलों का चिन्हीकरण, जियो टैगिंग, रोपित की जाने वाली प्रजातियों एवं उनकी संख्या का निर्धारण तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) में वृक्षारोपण हेतु समावेश कराया जाना।	02 अक्टूबर से 31 दिसम्बर
(ii)	अग्रिम मृदा कार्य व वृक्षारोपण हेतु मनरेगा से धनराशि प्राप्त करने हेतु डी0आर0डी0ए0 को योजना प्रस्तुत करना।	मनरेगा गाइडलाइन्स के अनुसार
(iii)	डी0आर0डी0ए0 द्वारा अग्रिम मृदा कार्य व वृक्षारोपण परियोजना की स्वीकृति एवं बजट अवमुक्त।	मनरेगा गाइडलाइन्स के अनुसार
(iv)	अग्रिम मृदा कार्य (गड्ढा खुदान एवं सुरक्षा व्यवस्था सहित) (Manual, Augur and JCB Machine)	28 फरवरी
(v)	सिंचाई हेतु व्यवस्था-बोरिंग आदि।	15 मार्च

(vi)	स्थलवार वृक्षारोपण प्रबंधन प्लान का निरूपण।	31 मई
(vii)	गड्ढा भरान कार्य (कीटनाशक एवं खाद का उपयोग करें)।	31 मई
(viii)	वृक्षारोपण हेतु पौध की व्यवस्था - नर्सरी चिन्हांकन।	31 मई
(ix)	नर्सरियों से वन/अन्य विभाग के वृक्षारोपण क्षेत्र हेतु पौध आपूर्ति प्लान तैयार करना।	31 मई
(x)	पौध ढुलान हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना।	15 जून
(xi)	जनपद की स्वयं सेवी संस्थाओं से सम्पर्क कर वृक्षारोपण में अधिकतम जनसहभागिता।	15 जून
(xii)	प्रत्येक जनपद हेतु गणमान्य व्यक्ति यथा मा0 मंत्री/सांसद/ विधायक/जन प्रतिनिधि अथवा अन्य गणमान्य व्यक्ति से सम्पर्क कर उनसे वृक्षारोपण कराने की व्यवस्था।	15 जून
(xiii)	प्रत्येक रोपण स्थल पर Smart phone से latitude and longitude सहित फोटोग्राफी की व्यवस्था करना।	15 जून
(xiv)	पौधशालाओं से रोपण स्थल तक पौधे का ढुलान।	25 जून
(xv)	वृक्षारोपण से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स् एवं अन्य अभिलेख प्रेषित करना तथा Best Performance with Innovative Ideas को इंगित करना।	31 अगस्त
(xvi)	वृक्षारोपण स्थलों का निरीक्षण एवं जीवितता का सत्यापन।	30 सितम्बर

16. वृक्षारोपण हेतु प्रजातियों का चयन-प्रजातियों के चयन हेतु प्रदेश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में मृदा एवं एग्रोक्लाइमेटिक जोन के अनुसार रोपित किये जाने वाली उपयुक्त वृक्ष प्रजातियों का विवरण परिशिष्ट-2 के रूप में संलग्न है। रोपित की जाने वाली प्रजातियों के सम्बन्ध में यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि यथासम्भव स्थानीय प्रजातियों (Indigenous Species) के रोपण को प्राथमिकता दी जाय। परिशिष्ट-2 में उल्लिखित प्रजातियों के अतिरिक्त भी यदि मृदा/जलवायु अन्य प्रजातियों के लिए उपयुक्त हो, तो उनका भी रोपण किया जा सकता है। वृक्षारोपण में कम से 20 प्रतिशत फलदार पौधों का प्रत्येक दशा में रोपण सुनिश्चित करते हुए पीपल, नीम, इमली, जामुन, अर्जुन, पाकड़, बरगद आदि प्रजातियों के पौधों को प्रमुखता से शामिल किया जाय। पारिस्थितिकीय तंत्र विकास हेतु विभिन्न नयी प्रजातियां यथा चन्दन, काला शीशम, महोगनी, खजूर, गम्हार, आदि के पौधों के रोपण को भी प्रोत्साहित किया जाये।

17. वृक्षारोपण हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय के लिये समीक्षा की प्रक्रिया:
इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :

17.1 जिलाधिकारी द्वारा माइक्रोप्लान के आधार पर वृक्षारोपण सम्पन्न कराने हेतु जिला वृक्षारोपण समिति की नियमित बैठक का आयोजन किया जाय।

17.2 मण्डलायुक्त द्वारा माइक्रोप्लान के आधार पर वृक्षारोपण कार्यक्रम के क्रियान्वयन का नियमित अनुश्रवण किया जाय।

17.3 अपर मुख्य सचिव (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग) के नेतृत्व में समस्त कार्यदायी विभागों के प्रमुख सचिव अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधियों की उपस्थिति में विभागवार वृक्षारोपण प्रगति की समीक्षा की जाय।

17.4 मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित समस्त जिलाधिकारियों व मण्डलायुक्तों की पाक्षिक/साप्ताहिक वीडियो कान्फ्रेंसिंग में वृक्षारोपण की विभागवार प्रगति की समीक्षा की जाय।

18. जियो-टैगिंग: वृक्षारोपण कार्य की प्रमाणिकता बढ़ाने हेतु शहरी क्षेत्रों में समस्त स्थलों की तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत को इकाई मानते हुये जी0पी0एस0 के माध्यम से जियो-टैगिंग की जाय।

19. अनुश्रवण :

जिला वृक्षारोपण समिति द्वारा वृक्षारोपण के रख-रखाव पर विशेष बल दिया जाय। इस हेतु जिलाधिकारी द्वारा अपनी मासिक बैठक में विभागवार लक्ष्य के सापेक्ष रोपित पौधों की संख्या व उसकी सफलता का नियमित अनुश्रवण किया जाय। पौधारोपण के पश्चात् उनकी सफलता सुनिश्चित करने हेतु सुरक्षा, सिंचाई एवं समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जाय।

(क) वृक्षारोपण कार्यों के स्थलीय सत्यापन हेतु व्यवस्था निम्न प्रकार होगी :

(1) वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा संचालित वृक्षारोपण अनुश्रवण पद्धति (Plantation Monitoring System-PMS) : वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा विकसित उक्त साफ्टवेयर के माध्यम से अनुश्रवण हेतु सभी विभागों द्वारा वृक्षारोपण कार्यों की प्रगति प्रतिदिन सक्षम स्तर को उपलब्ध करायी जाय, जिसका अनुश्रवण प्रतिदिन वन एवं वन्य जीव विभाग के कमाण्ड सेन्टर द्वारा किया जाय।

(2) वन एवं वन्य जीव विभाग के विभागीय वृक्षारोपणों का स्थलीय सत्यापन सम्बन्धित वन संरक्षकों द्वारा अन्तर्विभागीय जांच दलों से कराया जाय। विभागीय अनुश्रवण शाखा द्वारा भी प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष के रोपण की सफलता का आंकलन रैण्डम सैम्पलिंग के आधार पर कराया जाय।

(3) अन्य विभागों द्वारा कराये गये वृक्षारोपण का स्थलीय सत्यापन एवं स्थलवार संधारित वृक्षारोपण गणना पंजिका का निरीक्षण जिलाधिकारी द्वारा जिला वृक्षारोपण समिति के माध्यम से अन्तर्विभागीय जांच समितियाँ गठित कर अथवा सेक्टर एवं जोनल अधिकारी नामित कर कराया जाय।

(4) सम्बन्धित विभाग जिन्हें वृक्षारोपण लक्ष्य आवंटित किये गये हैं, के द्वारा स्थलवार रोपित पौधों का विवरण ग्राम वार सम्बन्धित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी के कार्यालय में रखा जाना सुनिश्चित किया जाये, ताकि सत्यापन हेतु जांच टीम को तत्समय यह विवरण उपलब्ध हो सके।

(ख) पौध उगान कार्यों का अनुश्रवण :

(1) वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा तैयार किये गये पौधों का अनुश्रवण जोनल/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक तथा वन संरक्षक द्वारा किया जाय तथा प्रगति रिपोर्ट कमाण्ड सेन्टर को अनिवार्यतः ससमय उपलब्ध करायी जाये। समस्त पौधशालाओं (विभागीय तथा निजी) की ग्रेडिंग हेतु नर्सरी ग्रेडिंग कार्ड विकसित कराकर पौधशालाओं में उपलब्ध पौधों की गुणवत्ता सुनिश्चित करायी जाय। पौधों की

वांछित सूचना के साथ-साथ उक्त ग्रेडिंग को भी Nursery Management System (NMS) पर अंकित कराया जाय।

(2) ग्राम्य विकास विभाग तथा अन्य विभागों द्वारा उगाई जाने वाली पौधों का स्थलीय सत्यापन जिला वृक्षारोपण समिति के माध्यम से जिलाधिकारी द्वारा कराया जायेगा।

(3) प्रत्येक विभाग द्वारा वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थलों का विवरण वन एवं वन्य जीव विभाग को उपलब्ध कराया जाय, जिसे वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा Nursery Management System (NMS) पर अपलोड किया जायेगा। सूचनाओं के अनुश्रवण हेतु अन्य विभागों को वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा। प्रदेश की निजी पौधशालाओं के पास उपलब्ध रोपण योग्य पौधों को वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा तथा ग्राम्य विकास विभाग, उद्यान विभाग एवं अन्य राजकीय विभागों द्वारा उगाये गये पौधों का विस्तृत विवरण सम्बन्धित विभागों द्वारा वन एवं वन्य जीव विभाग के साइट (Nursery Management System) पर अपलोड किया जायेगा।

(ग) पौध वितरण/आपूर्ति व्यवस्था : पौधशालाओं से विभिन्न विभागों को पौध वितरण में पारदर्शिता हेतु 'डायरेक्ट सैपलिंग ट्रांसफर' मोबाइल एप का उपयोग किया जाय।

(घ) पौध रोपण : पौध आपूर्ति के पश्चात् सम्बन्धित ग्राम पंचायत में पौध रोपण की पुष्टि अवश्य कराई जाय।

20. स्वतन्त्र मूल्यांकन : वृक्षारोपण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा कराये गये कार्यों का अनुश्रवण किसी भी कार्यक्रम की गुणवत्ता व सफलता के मापन का प्रथम स्तर होता है। इस वृक्षारोपण का भी तीसरी व स्वतन्त्र एजेन्सी से अनुश्रवण व मूल्यांकन आवश्यक है।

अतः इस पौधरोपण कार्यक्रम के स्वतंत्र मूल्यांकन हेतु वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून/भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान, देहरादून/शिक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से अनुश्रवण व मूल्यांकन कराया जाय।

21. पंजीकृत किसानों द्वारा 10 पौध लगाया जाना प्रदेश में कृषि विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत लगभग 02 करोड़ किसान कृषि कार्यों में सरकार से अनुदान व सहयोग प्राप्त करते हैं। वृक्षारोपण अभियान में कृषकों की प्राथमिकता के साथ जोड़ा जाय। इन पंजीकृत किसानों द्वारा 10 पौधों का रोपण किया जाय तथा इन पौधों के रोपण के साथ-साथ उनके अनुरक्षण की भी व्यवस्था कृषकों के द्वारा की जाय। इन रोपित पौधों की जियो-टैगिंग भी करायी जाय। विभिन्न प्रचलित केन्द्रीय व राज्य स्तरीय योजनाओं के लाभार्थियों को भी वृक्षारोपण अभियान में शामिल करते हुए रोपण को प्रोत्साहित किया जाय।

22. औद्योगिक प्रतिष्ठानों का सामाजिक उत्तरदायित्व (सी०एस०आर०) : विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों के सहयोग से वृक्षारोपण कार्यक्रम को सहभागी एवं जन उपयोगी बनाया जायेगा। प्रदेश के निवासी, जो प्रदेश से बाहर कार्यरत हैं, उन्हें भी आमंत्रण देकर वृक्षारोपण अभियान में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाये तथा उनसे प्राप्त वित्तीय सहयोग का उपयोग वृक्षारोपण अभियान के विभिन्न क्रिया-कलापों यथा जागरूकता, ब्राडिंग, सुरक्षा आदि में किया जाय। इसके अतिरिक्त पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले औद्योगिक संस्थानों द्वारा सी०ई०आर० (Corporate Environmental Responsibility) के अन्तर्गत पारिस्थितिकीय क्षेत्रों के पुनर्स्थापन में वित्त पोषण हेतु प्रभावी कार्यवाही की जाय।

23. कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का आंकलन: रोपित किये जाने वाले पौधों द्वारा भविष्य में वातावरण में विद्यमान कार्बन डाईऑक्साइड को कार्बन के अन्य स्वरूपों में दीर्घ काल के लिए संग्रहित किया जाता है, जो ग्लोबल वार्मिंग तथा जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में सहायक होते हैं। इस प्रक्रिया को कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कहा जाता है। रोपित किये जाने वाले पौधों द्वारा भविष्य में किये जाने वाले कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का आकलन भी राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था के माध्यम से ही कराया जाय।

24. कृषि वानिकी के अन्तर्गत रोपित किये जाने वाले पौधों को वृक्षारोपण अभियान के रोपण में सम्मिलित किया जाना: प्रदेश में कृषि वानिकी के अन्तर्गत विभिन्न प्रजातियों का वृक्षारोपण प्रचलित है, जिससे काष्ठ आधारित उद्योग तथा प्लाईवुड (Plywood), विनियर (Veneer) हेतु उत्पाद उपलब्ध होता है। इन उद्योगों के उत्पाद हेतु आस-पास में स्थापित बाजार है। बाजार में आपूर्ति तथा कृषकों की आय में वृद्धि के दृष्टिगत कृषकों को अपने स्वयं की निजी खेत, मेड़ आदि पर कृषि वानिकी के अन्तर्गत वृहद स्तर पर पौध रोपण करने हेतु प्रोत्साहित किया जाय।

25. चारा प्रजातियों का रोपण: (i) आर्थिक रूप से उपयोगी प्रजातियों तथा विभिन्न एग्रोक्लाइमेटिक जोन में उगने वाले चारा प्रजातियों के रोपण को बढ़ावा देने हेतु ज्ञान-साथी (Knowledge Partner) के रूप में प्रदेश के प्रतिष्ठित संस्थाओं जैसे- राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (NBRI) तथा भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान (IGFRI) आदि को चिन्हित किया गया है। वृक्षारोपण अभियान में चारा प्रजातियों के रोपण द्वारा कृषकों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जाय।
(ii) वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत पशुओं हेतु चारा के लिये शहतूत, सहजन, देशी बबूल, सीरस, खेजड़ी, अगस्त, कचनार, बेर, शीशम व सेमल आदि प्रजातियों के पौधों का रोपण चारागाह व गौवंश आश्रय स्थलों में भी किया जाय।
(iii) उपरोक्त के अतिरिक्त मरुस्थलीकरण से होने वाले पर्यावरणीय परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम करने हेतु विभिन्न तकनीकी एवं वैज्ञानिक संस्थाओं से सहयोग प्राप्त कर रणनीति तैयार किया जाय।

26. सहायतित प्राकृतिक पुनर्जनन: ऐसे उजड़ रहे वन, जो जैविक एवं अन्य दबाव के कारण प्राकृतिक रूप से स्थापित नहीं हो पा रहे हैं, उनकी स्थापना में प्रबन्ध कार्ययोजना के अनुसार चिन्हित क्षेत्रों की सुरक्षा तथा वांछित प्रजातियों का रोपण कर प्राकृतिक वनों के संवर्द्धन का कार्य किया जाना आवश्यक है। इस हेतु साल वनों तथा साल वनों के अतिरिक्त अन्य वन क्षेत्रों में किया जाने वाला सहायतित प्राकृतिक पुनर्जनन (ए०एन०आर०) वृक्षारोपण लक्ष्य में शामिल किया जाय तथा इसमें तकनीकी मानक के अनुसार प्रति हेक्टेयर पौधों का आगणन किया जाय।

27. अत्याधुनिक सूचना तकनीक का उपयोग: वृक्षारोपण के प्रभावी अनुश्रवण, सूचना का आदान-प्रदान, सूचना का संकलन, पौध रोपण, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, वीडियो कान्फ्रेंसिंग, ड्रोन, मोबाइल ऐप, जी०पी०एस०, एन०एम०एस०, सोशल मीडिया व अन्य उपयोगी साफ्टवेयर आदि का नियमानुसार क्रय एवं उपयोग इन कार्यों में किया जाय, जिससे कार्यों के सम्पादन में अत्याधुनिक सूचना तकनीक का उपयोग सफलतापूर्वक किया जा सके।

28. प्रशिक्षण कार्यक्रम: वृक्षारोपण अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु ग्रीन स्किल डेवलपमेन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत वन विभाग की शोधशालाएं सेंटर आफ एक्सिलेंस (Center of Excellence) होंगी, जहाँ वृक्षारोपण एवं पौधा उगान कार्यों का तकनीकि प्रशिक्षण ग्राम प्रधान, विभिन्न विभागों के ग्राम स्तरीय कार्मिकों, स्वयं सहायता समूहों तथा कृषकों को दिया जाय।

29. ईको क्लबः समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में ईको क्लब स्थापित है, जिन्हें पर्यावरण जागरूकता कार्य हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। ईको क्लब का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों का निर्धारित पाठ्यक्रम/गतिविधियों से इतर पर्यावरणीय अवधारणाओं एवं कार्य-कलापों की सम्भावनाएं तलाशना है। विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने हेतु वृक्षारोपण अभियान में ईको क्लब द्वारा निकटस्थ वेटलैण्ड, ईको टूरिज्म स्थल एवं अन्य महत्वपूर्ण पर्यावरणीय स्थलों के भ्रमण की व्यवस्था सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य से कराते हुये वृक्षारोपण में उनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाय, जिससे उन्हें पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ पौधरोपण का भी प्रायोगिक ज्ञान प्राप्त हो सके।

30. मीडिया प्लान : पौधरोपण हेतु सबकी सहभागिता सुनिश्चित करते हुये वृक्षारोपण जन-आन्दोलन के अन्तर्गत अभियान चलाकर वृक्षारोपण किये जाने का निर्णय लिया गया है। प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से कार्यक्रम का वृहद प्रचार-प्रसार किया जाय। वृक्षारोपण के इस अभियान में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिये सोशल मीडिया का भी उपयोग किया जाय। जनजागरूकता हेतु सोशल मीडिया/सेल्फी का उपयोग करते हुये वृक्षारोपण कार्यक्रम की ब्रान्डिंग कराई जाय।

31. उत्कृष्ट कार्यों हेतु पुरस्कार : वृक्षारोपण अभियान में प्रदेश स्तर पर उत्कृष्ट कार्य हेतु विभिन्न प्रतिभागियों द्वारा आवेदन आमंत्रित करने हेतु सूचना विभाग द्वारा एक पोर्टल विकसित किया जाय। प्राप्त आवेदनों पर प्रदेश में उत्कृष्ट जनपद, उत्कृष्ट मण्डल, उत्कृष्ट जन सामान्य व उत्कृष्ट जनप्रतिनिधि - कुल चार वर्गों में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा चयन किया जाय।

32. वृक्षारोपण कार्यक्रम का नोडल विभाग वन एवं वन्यजीव विभाग होगा, जो वृक्षारोपण अभियान के सफलतापूर्वक सम्पादन हेतु वांछित मार्ग निर्देशन एवं अनुश्रवण के लिए जनपदों में नोडल अधिकारियों की तैनाती करेगा, जिसके आदेश उनके द्वारा पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

33. उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कृपया कड़ाई पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

Digitally Signed by दुर्गा शंकर मिश्र
Date: 22-05-2024 12:25:48

(दुर्गा शंकर मिश्र)
मुख्य सचिव।

संख्या-161(1)/81-5-2024, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0, शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग/ग्राम्य विकास/पंचायतीराज/राजस्व/आवास/औद्योगिक विकास/नगर विकास/लोक निर्माण/जल शक्ति/रेशम विभाग/कृषि/पशुपालन/सहकारिता/उद्योग (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग)/ऊर्जा/माध्यमिक शिक्षा/ बेसिक शिक्षा/ प्राविधिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/श्रम/स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा/ परिवहन/रेलवे/ रक्षा/उद्यान को इस आशय से प्रेषित कि अपने विभाग से सम्बन्धित लक्ष्यों को पूर्ण कराने का कष्ट करें।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय महाप्रबन्धक रेलवे-उत्तर पूर्वी, उत्तर, उत्तर मध्य जोन। (पी0सी0सी0एफ0 के माध्यम से)
5. मण्डलीय प्रबन्धक रेलवे-लखनऊ, गोरखपुर, मुरादाबाद, इज्जतनगर (बरेली), वाराणसी, डी0एल0डब्लू (वाराणसी), प्रयागराज, आगरा एवं झांसी मण्डल। (पी0सी0सी0एफ0 के माध्यम से)
6. जी0ओ0सी0 सेन्ट्रल कमाण्ड, लखनऊ। (पी0सी0सी0एफ0 के माध्यम से)
7. प्रभारी अधिकारी, भारतीय वायुसेना स्टेशन-बक्शी का तालाब (लखनऊ), चकेरी (कानपुर), बरेली, गोरखपुर, आगरा, हिण्डन (गाजियाबाद), सरसावा (सहारनपुर), बमरौली (प्रयागराज)। (पी0सी0सी0एफ0 के माध्यम से)
8. समस्त सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्ष। (पी0सी0सी0एफ0 के माध्यम से)
9. समस्त जोनल/मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक, उ0प्र0। (पी0सी0सी0एफ0 के माध्यम से)
10. समस्त वन संरक्षक, उ0प्र0। (पी0सी0सी0एफ0 के माध्यम से)
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

परिशिष्ट-2

प्रदेश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में रोपित की जाने वाली उपयुक्त प्रजातियों का विवरण

1. तराई-भाबर क्षेत्र

(क) ईंधन वाली प्रजातियाँ : बबूल, यूकेलिप्टस, सुबबूल, काला सिरस

(ख) चारा-पत्ती वाली प्रजातियाँ : अर्जुन (टरमिनेलिया अर्जुना), अर्डू (आइलेन्थस एक्सेल्सा), असना (टरमिनेलिया इलाटा), बबूल, बहेड़ा, बेसी (सैलिक्स टेट्रास्पर्मा), बकैन, धौरा, बड़हल (आर्टोकार्पस हीटेरोफिलस), लसोड़ा (कार्डिया डाइकोटोमा), पुला (कीड़िया कैलीसिना), कुईराल (बाहीनिया पर्पूरिया), सांदन, सुबबूल और शहतूत

(ग) इमारती लकड़ी वाली प्रजातियाँ : शीशम, जामुन, पॉपलर, सागौन, गम्हार (मेलाइना आरबोरिया)

(घ) फलदार प्रजातियाँ : आम, आँवला, बहेड़ा, बेल, बेर, जामुन, कटहल, लसोड़ा आदि।

(ङ) शोभाकार प्रजातियाँ : कैसिया सियामिया, सेमल, जरूल (लेगर्सट्रोमिया फ्लासरजाइना), अमलतास, कचनार, गुलमोहर, एल्सटोनिया (छितवन), कदम्ब

(च) पर्यावरण प्रजातियाँ : पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर

2. <u>तराई क्षेत्र</u>

(क) ईंधन वाली प्रजातियाँ : बबूल, ढाक, सुबबूल, सिद्दा (लैगर्सट्रोमिया पार्वीफ्लोरा) प्रोसोपिस (विलायती बबूल) जामुन, काला सिरस

(ख) चारा-पत्ती वाली प्रजातियाँ : अर्डू, बबूल, बकैन, बेर, कचनार, पुला, सुबबूल सजना, नीम, बेसी, सैलिक्स

(ग) इमारती लकड़ी वाली प्रजातियाँ : अलकासीन, बबूल, बाँस, सागौन, शीशम, नीम, जामुन आदि

(घ) फलदार प्रजातियाँ : आँवला, बेल, इमली, कटहल, लसोड़ा, महुआ, सजना आदि

(ङ) शोभाकार प्रजातियाँ : अमलताश, कैसिया, सेमल, महाकोरल ट्री (एरीथ्राइना इण्डिका), कचनार, गुलमोहर, जकरण्डा, कदम्ब (एन्थोसिफलस कदम्बा) सीता अशोक, पॉलीएल्थिया लॉन्जीफोलिया, नीम, चमेली, आकाश नीम, पेल्टोफोरम, मौलश्री (माइमूसाप्स एलेंगी)

3. <u>गांगेय क्षेत्र (पश्चिमी)</u>

(क) ईंधन वाली प्रजातियाँ : बबूल, ढाक, इमली, फराश, कंजी, सुबबूल, प्रोसोपिस (विलायती बबूल), काला सिरस

(ख) चारा-पत्ती वाली प्रजातियाँ : अर्डू, बबूल, बेर, कचनार, लसोड़ा, नीम, काला सिरस, सुबबूल

(ग) इमारती लकड़ी वाली प्रजातियाँ : शीशम, जामुन, सागौन, बबूल, कंजू, नीम, आम

(घ) फलदार प्रजातियाँ : आम, इमली, बेल, आँवला, महुआ, कटहल, सैजना, कैथा, खिन्नी, लसोड़ा आदि

(ङ) शोभाकार प्रजातियाँ : कालकसौंदा, अमलतास, कैसिया, सियामिया, अशोक, गुलमोहर, कचनार, नीम, चमेली, सेमल, मदार, जकरण्डा, कदम्ब

4. <u>गांगेय क्षेत्र (पूर्वी)</u>

(क) ईंधन वाली प्रजातियाँ : अर्जुन, बबूल, इमली, कंजी, सुबबूल, विलायती बबूल, ढाक आदि

(ख) चारा-पत्ती वाली प्रजातियाँ : अर्डू, बेल, बेर, धौरा, कचनार, काला सिरस, सफेद सिरस, नीम, लसोड़ा, सुबबूल आदि

(ग) इमारती लकड़ी वाली प्रजातियाँ : शीशम, सागौन, जामुन, आम, महुआ, काला सिरस, तून, कठ सागौन

(घ) फलदार प्रजातियाँ : आम, आँवला, महुआ, बेल, बेर, कटहल, इमली, कचनार, महुआ, सहजन और जामुन आदि

(ङ) शोभाकार प्रजातियाँ : वह सभी प्रजातियाँ जो गांगेय क्षेत्र पश्चिमी में दी गई हैं।

5. <u>विन्ध्य क्षेत्र</u>

(क) ईंधन वाली प्रजातियाँ : बबूल, करधई, कन्जी, विलायती बबूल, सुबबूल, अंजन, बेर और केकोर

(ख) चारा-पत्ती वाली प्रजातियाँ : बबूल, बेल, कचनार, काला सिरस, सहजन, अंजन

(ग) इमारती लकड़ी वाली प्रजातियाँ : शीशम, काला सिरस, सागौन, महुआ

(घ) फलदार प्रजातियाँ : बेल, चिरौंजी, खिरनी, महुआ, आँवला, करौंदा

(ङ) शोभाकार प्रजातियाँ : अमलतास, नीम, सगेली

6. निम्न प्रजातियाँ जलमग्न क्षेत्र के लिए उपयोगी हैं (पानी कुछ महीने ही जमा रहता हो): अर्जुन, जामुन, बैंत, पुटेल, सफेद सिरस, ढाक।

7. नदियों के किनारे पानी वाली भूमि जहाँ वर्षा में बाढ़ आ जाती है : सफेद सिरस, पेपर मलबरी, शीशम, बेर, झाऊ, वाइटेक्स निगण्डू।

8. मेरठ, बुलन्दशहर व अन्य जिलों के खादर क्षेत्र (वह क्षेत्र जहाँ गंगा की बाढ़ में लम्बे समय के लिये पानी जमा हो जाता है - केवल वही स्थान जो ऊँचाई पर हैं वृक्षारोपण के लायक हैं)
कठ सागौन, ढाक, काला सिरस, सफेद सिरस, जामुन आदि

9. बीहड़ भूमि (रेवीन्स) :
विलायती बबूल (नीचे ढालों में) नीम, जंगल जलेबी, करील, पार्किन्सोनिया, करौंदा, लसोड़ा

10. पथरीले क्षेत्र : नीम, अंजन, बेर, सलाई।

11. रेतीले क्षेत्र : बबूल, कठ सागौन, काला सिरस, नीम, शीशम, पार्किन्सोनिया,
विलायती बबूल, फराश, बेर।

12. चिकनी मिट्टी वाले क्षेत्र- बबूल, आकाशमोनी, ढाक, बसना, अर्जुन और जामुन।

13. ऊसरीले क्षेत्र :

(क) पी0एच0-9 से नीचे
काला सिरस, नीम, महुआ, आकाशमोनी, विलायती बबूल, अर्जुन, ढाक, खारी ऊसर वाले क्षेत्र।

(ख) पी0एच0-9 से ऊपर
विलायती बबूल, अर्जुन, और ढाक ही हो सकते हैं परन्तु भी तब जब पानी देने की व्यवस्था हो और मृदा को ठीक करने वाले पदार्थ जैसे जिप्सम या पाइराइट दिया गया हो।

प्रारूप-1

कृषकों द्वारा रोपित पौधों के सम्बन्ध में सूचना

क्र0 सं0	कृषक का नाम	पिता का नाम	पता	मोबाइल नम्बर	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	रोपित पौधों की संख्या	रोपित प्रजाति	जीवित पौधों की संख्या	पौधों का स्रोत	कृषक के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्रारूप-2

श्रेणी-3 (सामुदायिक/राजकीय परिसर/स्कूल/रेल/नहर/सड़क/पटरी की भूमि/ अन्य भूमि) पर रोपित पौधों के सम्बन्ध में सूचना

क्र0 सं0	सामुदायिक/ राजकीय परिसर/स्कूल/रेल/नहर /सड़क/पटरी की भूमि/अन्य भूमि	पता	स्थल का नाम	गाटा में क्षेत्र	रोपित पौधों की संख्या	रोपित प्रजाति	जीवित पौधों की संख्या	पौधों का स्रोत	विभाग का नाम	अधिकारी का नाम	अधिकारी के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

क्र.सं.	जनपद का नाम	[illegible] विभाग	[illegible] विभाग	[illegible] विभाग	शिक्षा विभाग: प्राथमिक शिक्षा	शिक्षा विभाग: माध्यमिक शिक्षा	शिक्षा विभाग: [illegible] शिक्षा	शिक्षा विभाग: [illegible]	[illegible] विभाग	[illegible] विभाग	[illegible] विभाग	[illegible] विभाग	[illegible] विभाग	[illegible] विभाग	[illegible] विभाग	कुल
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	मेरठ	5020	13000	10080	9500	12000	8000	23000	2610	10000	2700	35000	15300	360000	9540	2708840
2	गाजियाबाद	2800	11000	8130	4300	5000	5000	23000	2700	15000	2400	27000	9000	5000	3700	1370160
3	बागपत	1600	10080	7590	2000	3000	8000	10000	3200	15300	3300	20000	8000	80000	8500	924980
4	हापुड़	2380	11030	7000	3000	3000	5300	16000	3000	15000	3500	14000	7500	64000	6400	1141080
5	गौतमबुद्ध नगर	1120	16000	7000	1000	2000	8000	22000	5000	7000	4730	14000	5000	31000	12500	5315?0
6	बुलन्दशहर	8520	15000	8300	12000	20000	8000	24000	3140	50000	3300	125300	8000	242000	1960	2697150
	मेरठ मंडल	22640	29030	47460	37000	42000	33000	127300	20500	65000	19760	165000	38000	312000	39770	19785820
7	सहारनपुर	8540	10300	2400	12500	15000	3400	24000	2200	15000	2000	18000	5100	248000	11600	4332780
8	मुजफ्फरनगर	6720	14000	12840	3000	13000	4530	27000	1400	22000	1900	38000	5000	97000	9240	2874200
9	शामली	2626	11030	8540	3000	3000	7500	28000	2500	17000	3300	20000	5000	77000	13320	1372880
	सहारनपुर मंडल	17780	51000	29280	24000	29000	22000	79000	9200	65000	8800	65000	22300	484000	30700	2524740
10	आगरा	7700	17000	3000	12000	10000	4000	35000	5600	4300	3500	15300	6600	240000	7700	3147150
11	मथुरा	3500	14000	9760	8000	14000	3000	29000	3800	15000	3300	18300	7000	152000	3900	3667800
12	मैनपुरी	1600	13000	11786	10000	17000	6000	29000	2700	22000	3000	27000	7000	230000	10350	3838800
13	फिरोजाबाद	8600	10000	6900	8000	13000	6000	20000	1200	17300	1100	200000	20000	150000	5500	3018580
	आगरा मंडल	27100	51000	35420	28000	47000	10000	160000	3800	69000	17500	81000	26300	778000	19760	1651140
14	अलीगढ़	8880	12000	6720	12000	38000	8600	26000	4300	3500	4300	15000	7000	250000	5500	4185500
15	हाथरस	4000	11000	4760	5800	9000	5000	20000	3500	10000	3700	11000	5200	110000	3540	2374860
16	एटा	3600	14530	3460	8670	12000	6000	27000	2400	11000	3200	10000	8000	132000	7640	2838000
17	कासगंज (काशीरामनगर)	6360	12000	6480	9700	13000	5800	20000	2300	12300	3700	10000	3000	174000	7000	2348800
	अलीगढ़ मंडल	22880	80300	25340	31000	81000	28000	86000	12600	45300	13700	83000	24300	634000	34440	11791880
18	मुरादाबाद	4000	7000	6860	7000	11000	4000	18000	600	14600	600	51300	4800	128000	3390	2180740
19	संभल	3600	14000	6960	8500	72000	6000	34000	4400	17000	4200	15300	7000	152400	19200	2771340
20	रामपुर	5600	11000	4480	8000	17000	6300	30000	3600	9000	3400	11000	3000	115000	11960	2920000
21	बिजनौर	5180	10000	3620	7000	32000	7000	17000	2900	3000	2700	8000	5000	142000	11600	3568440
22	अमरोहा	11320	15000	8720	14000	33300	7000	29000	2300	12300	2500	18000	2300	117000	7700	6842000
	मुरादाबाद मंडल	32440	53000	26360	65000	72000	26000	95000	14000	14000	13500	98000	27300	387000	17340	17282840
23	बरेली	5520	11000	6580	13000	21000	8000	24000	3900	12000	3400	16300	1600	700000	7320	4272780
24	बदायूं	10520	15000	10720	14000	29000	7000	27000	4400	12300	4300	15000	7000	782000	9800	3035340
25	पीलीभीत	9960	17000	5860	12000	25000	8300	31000	3500	14000	1600	267??	3600	3820000	23350	3561760

क्र० सं०	जनपद का नाम	[illegible] विभाग	[illegible]	[illegible] विभाग	शिक्षा विभाग: [illegible] शिक्षा	शिक्षा विभाग: [illegible] शिक्षा	शिक्षा विभाग: [illegible] शिक्षा	शिक्षा विभाग: [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] विभाग	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	योग
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
26	शाहजहाँपुर	10820	12000	5400	14000	24000	7000	26000	2400	19000	5230	14200	6200	274000	4400	5350000
	बरेली मण्डल	30630	53000	29520	87000	89000	23030	108000	16900	59300	16030	55000	23600	1283000	33640	18321870
27	मुरादाबाद	12300	8000	6960	19850	20000	6000	24000	1900	17000	1800	11000	4500	360000	7300	7215160
28	बिजनौर	4300	9000	5860	6000	9000	2500	11000	1800	4000	1800	15000	4300	15000	5300	2570160
29	रामपुर	5940	10000	8120	14000	22000	6500	31000	5000	15000	4800	34000	7800	277000	12500	4811780
30	[illegible]	8880	9000	3020	12000	20000	9000	21000	1100	6000	2900	3800	5000	147000	5000	4871650
	मुरादाबाद मण्डल	28120	42000	25480	50000	61700	26600	89000	12800	45030	11400	53630	21000	1601000	33380	18698182
31	[illegible]	3500	6000	2600	5000	9000	3500	11000	1500	5000	1430	6000	3000	480000	3300	1687820
32	[illegible]	4020	8000	5800	3000	13000	5000	18000	1300	11000	1800	12380	1000	185000	7000	5228876
33	[illegible]	7960	10000	5320	11000	16500	5000	18000	3000	14630	2300	12000	3000	221000	7000	4514100
34	[illegible]	5870	8000	3780	13000	22000	5000	19000	2100	7620	7700	9000	4500	231000	5100	3191867
	[illegible] मण्डल	27000	32000	17220	37000	61030	18500	57000	6800	33630	8300	40400	15000	773000	25500	17113420
35	[illegible]	2380	4000	2380	3000	5000	3700	10700	1900	29000	1620	3400	3000	55000	6300	1239750
36	[illegible]	10540	12000	8820	14000	25000	9000	20000	1700	15000	6400	23000	3000	388000	13071	5534400
37	[illegible]	15030	20000	14200	22000	35000	14000	50000	3000	29000	5300	22000	1200	494000	16611	14214230
	[illegible] मण्डल	28890	36000	23800	39000	65000	26000	88000	12200	53000	11500	55000	24600	938000	27320	24906750
38	[illegible]	7080	5000	4200	11000	15000	5000	18000	3800	3000	3000	9000	4000	222000	5300	5214170
39	[illegible]	8850	12000	5340	10000	15000	6000	20000	3700	14500	3200	12000	5000	155000	7470	3821920
40	[illegible]	6200	7000	2800	8000	13000	4000	10000	1500	6300	2200	7000	4000	155000	3640	4157360
41	[illegible]	7060	6000	4620	10000	18000	5000	19000	2300	5000	3200	10000	4000	155000	1720	3714730
	[illegible] मण्डल	27960	34000	16850	40000	62300	10000	79000	10000	33300	5500	33800	12000	774000	23380	15942560
42	बस्ती	5720	8000	4340	9000	15000	4000	11000	1200	8600	1100	10000	3000	158000	3300	3754420
43	[illegible]	4980	5000	4200	6000	9000	2000	12000	1200	8000	1160	8000	4500	116000	3260	3518240
44	[illegible]	7280	8000	4020	10000	16000	5000	18000	2700	4500	2400	9000	3300	163000	10020	4124360
	बस्ती मण्डल	18060	18000	12460	25000	40000	12000	44000	5100	27000	4700	25000	13000	489000	13880	10738320
45	[illegible]	10360	7000	3080	14000	20000	6000	22000	2600	8700	2400	7000	4000	200000	2590	5600540
46	[illegible]	4560	7000	3520	5000	9000	4000	14000	1900	5800	1300	6000	4000	172000	2140	3690800
47	देवरिया	7140	6000	3160	10000	16000	5000	19000	1700	11000	1800	10000	4000	227000	5600	3079783
	[illegible] मण्डल	21560	22000	11760	29000	48000	14000	55000	6300	27000	5300	23000	12000	500000	15346	17582600
48	[illegible]	8800	11000	7840	8000	12000	7000	24000	3300	15000	3600	14000	4300	132000	9430	4690740
49	[illegible]	9030	13000	3440	13000	21000	7500	20000	4300	13000	3400	10000	7300	263000	3300	5568390
50	[illegible]	14568	15000	3100	10000	13000	9000	34000	5600	13000	4700	14000	3000	434000	11700	2612480
51	[illegible]	13260	10000	4420	15000	24000	8000	28000	5630	12000	5400	11000	4000	339000	8300	2781635

क्र० सं०	जनपद का नाम	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
52	सीतापुर	14300	9000	7140	19000	21000	7000	26000	2000	3000	[illegible]	13000	4000	35000	15417	11914300
53	लखीमपुर-खीरी	19870	13000	13070	75000	41000	17000	41000	3870	24000	3800	26000	8000	540000	11132	9137000
	लखनऊ मण्डल	73380	77000	45880	138000	180000	48000	177000	21600	80000	20000	130000	28000	2330000	55380	35275270
54	[illegible]	5760	10000	5040	8000	14000	5000	20000	2200	10000	3000	14000	4000	1190000	7335	38173600
55	अम्बेडकर नगर	7000	9000	3380	8000	12000	4000	19000	2200	7000	2100	8000	5000	159000	3427	34438000
56	सुल्तानपुर	6480	8000	6800	8000	16000	5000	17000	3200	8000	8000	7200	4000	170000	7700	53446400
57	बाराबंकी	9480	8000	6680	13000	21000	6000	21000	1700	14000	3600	13000	4000	220000	3500	30346600
58	[illegible]	5000	7000	5420	6000	13000	4000	15000	1530	14000	1900	13000	9000	125000	3240	43544500
	[illegible] मण्डल	33180	41000	24560	44000	73000	24000	87000	10730	53000	10000	57000	24000	880000	32000	22688200
59	गोण्डा	9620	12000	8340	13000	21000	7000	35000	4600	12000	3200	14000	7000	250000	3140	50855000
60	बलरामपुर	9930	13000	8570	10000	17000	7000	25000	4330	11000	4000	18000	8000	212000	3000	35884000
61	[illegible]	6220	12000	8560	8000	9300	5000	22000	9470	13000	5300	10000	8000	117000	1100	47124040
62	[illegible]	11702	11000	6080	18000	25000	8000	24000	2600	14000	5500	28000	5000	320000	3100	50470500
	देवीपाटन मण्डल	33040	48000	28580	45000	72000	27000	109000	11400	50000	13600	88000	22000	910000	23400	206170080
63	[illegible]	6680	12000	9060	9000	13000	8000	34000	2630	17000	3400	20000	8000	100000	1200	42870000
64	[illegible]	7420	16000	7700	10000	16000	6000	23000	3500	10000	6000	18000	8000	224000	11000	60197600
65	[illegible]	5840	13000	6300	7000	11000	5000	20000	3400	12000	5100	12000	2000	142000	3500	37373300
66	[illegible]	4740	13000	5300	7000	11000	5000	21000	3000	12000	3900	12000	7000	133000	3000	36365200
67	[illegible]	5680	13000	4380	7000	12000	6000	23000	3400	11000	4200	21000	5000	145000	3000	63169000
68	[illegible]	4820	12000	4470	10000	10000	6000	17000	3400	10000	2300	10000	5000	128000	1100	45724000
	[illegible] मण्डल	24680	77000	47740	68000	73000	37000	104000	24300	100000	23900	183000	59000	1055000	21340	266200000
69	झाँसी	11760	26000	15130	15300	24300	12000	40000	6400	24000	7700	36000	13000	264000	20100	95322700
70	ललितपुर	11230	27000	15130	15300	25000	13000	44000	2220	33000	11000	36000	13000	310000	21000	86048800
71	जालौन	10360	21000	14700	14000	23000	11000	40000	5600	27000	6700	33000	13000	268000	10000	83064400
	झाँसी मण्डल	33620	64000	43940	44300	72300	40000	160000	25600	86000	24200	104000	43000	936000	62728	213364080
72	हमीरपुर	9430	25000	23180	11000	15000	13000	46000	9700	37000	6300	48000	13000	256000	10402	72041210
73	महोबा	5830	26000	23020	9000	10000	10000	45000	8200	32000	5800	45000	15000	247000	21070	70423600
74	बांदा	9880	22000	13660	13000	21000	11000	42000	6720	20000	6300	34300	11000	278000	9000	54866400
75	चित्रकूट	7420	25000	12240	10000	16080	10000	44000	7400	35000	7000	20700	15000	204000	8000	71682410
	चित्रकूट मण्डल	32540	102000	68830	43000	71000	40000	180000	29100	120000	27000	155000	55000	981000	72462	268532720
	कुल योग	560000	855000	581000	763000	1140000	506000	1254000	262100	1081000	254300	1245000	493000	10358000	700000	[illegible]